



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
**UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION
LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN No U40101UP2004SGC028687

संख्या : 463/अधि०नि०(वित्त)/निधि-प्रथम/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/615

दिनांक: 25/01/2023

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप सं० F.9/4/2020-PPD दिनांक 30.12.2021 को अंगीकृत किये जाने हेतु निदेशक मण्डल की 88वीं बैठक, दिनांक 11.01.2023 में लिये गये निर्णय सं० 88(11) के अनुपालन में एतद्द्वारा उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० के अन्तर्गत निष्पादित अनुबन्धों के आपूर्तिकर्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को वित्तीय तरलता उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा जमा की गयी परफार्मेंस गारण्टी को कम किये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंगीकृत किया जाता है:-

1. उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० अंतर्गत निष्पादित अनुबन्धों के आपूर्तिकर्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को वित्तीय तरलता उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा जमा की गई परफार्मेंस गारण्टी को कम किये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं० 9/4/2020-पीपीडी, दिनांक 30.12.2021 एवं ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-1527/24-1-2022-1434/2021 दिनांक 11.11.2022 के अनुपालन में उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं० 1420/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मु०/लेखा/एफ०-123(2)/192(टी०) दिनांक 14.12.2021 में परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी हेतु वर्णित तिथि 31.12.2021 को तिथि 31.03.2023 तक विस्तारित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
2. उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं० 1420/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मु०/लेखा/एफ०-123(2)/192(टी०) दिनांक 14.12.2021 में वर्णित अन्य सभी बिन्दु यथावत रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक:- 463/अधि०नि०(वित्त)/निधि-प्रथम/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/615 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन)/कार्य एवं परियोजना/आपरेशन/नियोजन एवं वाणिज्य, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम)/पारेषण मध्य/पारेषण दक्षिण-पश्चिम/पारेषण दक्षिण-मध्य/पारेषण उत्तर-पूर्व/पारेषण दक्षिण-पूर्व/संचार एवं नियन्त्रण/जानपद पारेषण-प्रथम/जानपद पारेषण-द्वितीय, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, मेरठ/लखनऊ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/प्रयागराज।
5. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारेषण पश्चिम)/पारेषण मध्य/पारेषण दक्षिण-पश्चिम/पारेषण दक्षिण-मध्य/पारेषण उत्तर-पूर्व/पारेषण दक्षिण-पूर्व, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, मेरठ/लखनऊ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/प्रयागराज।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)


निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 88वीं बैठक, जो दिनांक 11.01.2023 को सम्पन्न हुई में लिए गए निर्णय का उद्धरण:-

विषय	पारित प्रस्ताव
<p>मद संख्या 88 (11)</p> <p>उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०-F.09/04/2020-पीपीडी दिनांक 30.12.2021 को अंगीकृत किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सम्मुख विचारार्थ टिप्पणी।</p>	<p>मद संख्या 88 (11)</p> <p>निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:- "संकल्पित किया गया कि उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० अंतर्गत निष्पादित अनुबंधों के आपूर्तिकर्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को वित्तीय तरलता उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा जमा की गई परफार्मेंस गारण्टी को कम किये जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं० 9/4/2020-पीपीडी, दिनांक 30.12.2021 एवं ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-1527/24-1-2022-1434/2021 दिनांक 11.11.2022 के अनुपालन में उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं० 1420/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मु०/लेखा/एफ०-123(2)/192 (टी०) दिनांक 14.12.2021 में परफार्मेंस सिक्यूरिटी हेतु वर्णित तिथि 31.12.2021 को तिथि 31.03.2023 तक विस्तारित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० के निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं० 1420/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/मु०/लेखा/एफ०-123(2)/192 (टी०) दिनांक 14.12.2021 में वर्णित अन्य सभी बिन्दु यथावत रहेंगे।"</p>

ह०

अध्यक्ष



(अक्षय टण्डन)

कम्पनी सचिव

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०